an>

Title: Regarding MP's admission quotas in Central School.

श्री रमेश बिधूड़ी **(दक्षिण दिल्ली) :** सर, यह बड़ा सैंसिटिव मामला है और सभी माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे। हमें केन्द्रीय विद्यालय के छः कूपन दिये जाते हैं, इसमें मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट की बड़ी एम्बैरसमैन्ट होती है, क्योंकि जो चुनाव लड़ता है, उसका समर्थन करने वाले पांच सौ कार्यकर्ता होते हैं। उसको सपोर्ट करने वाले लोगों में उसकी विचारधारा और परिवार के लोग होते हैं, उनमें दोस्त भी होते हैं। मेरी कांस्टीटुएंसी में आठ सैंट्रल स्कूल हैं और मैं केवल छः एडमिशन करा सकता हूं। इस सरकार ने कोटा तो फिक्स किया था कि जो सांसद वगैरह दूर से आएं, वे अपने स्टाफ के बच्चों के एडमिशन करा दें, क्योंकि वे बच्चे कहां पढ़ेंगे। लेकिन इन्हें जनरल कर दिया गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि या तो इस कोटे को समाप्त कर दिया जाए, ताकि कोई आकर हमसे एडमिशन के लिए कह न सके। हमारी स्थिति एक फिल्मी गाने की तरह हो गई है - "ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मश्विरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मयकदा।" मैं किसे छोड़ू और किसे अपनाऊं। हमारी स्थिति बहुत अजीब हो गई है। इसलिए हमारा कहना है कि जहां मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं, वहां के सांसदों का कोटा बढ़ाया जाए और स्कूलों के अनुसार दिया जाए। यही मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है। धन्यवाद।